

ग्राम पंचायत धंगड़, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा, हि० प्र० - 176033
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धंगड़, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जसबीर सिंह	01/04/2022 से 31/08/2023
2.	श्री इकबाल सिंह	05/09/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अरविन्द कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत धंगड़ के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में (₹)
1.	4.3	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	1.98
2.	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.98
3.	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.29
4.	7.1	खनन सामग्री बिलों के समर्थन में वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	7.90
5.	7.2	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान से जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	0.14
6.	7.3	14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियों का पाया जाना	2.86
7.	7.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	9.46
8.	7.5	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	15.99

9.	7.6	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6.47
10.	7.7	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.47
11.	7.8	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	14.60
12.	8.1	मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	20.07
13.	8.2	मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण अनियमित भुगतान	4.13
14.	8.3	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, मस्ट्रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोलों का भुगतान करना	0.52
15.	9.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण हि०प्र० राजकीय कोष को राजस्व की हानि बारे	0.01
16.	9.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	0.03

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत धंगड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.10.2024 से 12.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	10/2022	10/2022
2023-24	05/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 63 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 30/2024 दिनांक 30.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	419915.00	635159.00	1055074.00	519721.00	535353.00
2023-24	535353.00	6851.00	542204.00	529848.00	12356.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2199600.00	4117923.82	6317523.82	4047852.82	2269671.00
2023-24	2269671.00	3051155.04	5320826.04	3223123.04	2097703.00

कुल योग (1+2) = 12356.00 + 2097703.00 = **2110059.00**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹21,10,059.00** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹19,12,376.55** (परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)/ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080192	₹ 12,317.00
2.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750219	₹ 1,13,168.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750128	₹ 1,92,443.00

4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750015	₹ 2,30,723.00
5.	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750173	₹ 17,595.80
6.	इंदिरा आवास योजना (I.A.Y.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750275	₹ 0.00
7.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750253	₹ 0.00
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055870398	₹ 0.00
9.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)/ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056083627	₹ 0.00
10.	5 वां राज्य वित्त आयोग (5 th SFC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750162	₹ 2,98,714.00
11.	13वां वित्त आयोग (13 th FC)			
12.	14वां वित्त आयोग (14 th FC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750231	₹ 0.00
13.	15वां वित्त आयोग (15 th FC)	UCO बैंक नगरोटा सूरियाँ	30720110038215	₹ 10,47,376.75
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			₹ 39.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			₹ 19,12,376.55
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) अनुसार अन्तशेष :-			₹ 21,10,059.00
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:-			₹ 19,12,376.55
	अंतर :-			₹ 1,97,682.45

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 नियमानुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj)

में खातों का रख-रखाव न करना :-

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी (Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 5वां राज्य वित्त आयोग की हस्तलिखित रोकड़ बही प्रस्तुत की गई जोकि अनियमित एवं उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/धंगड़ दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 51 दिनांक 01.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत 5वां राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही के अनुरक्षण एवं लेखांकन संबंधी नियमों की अवहेलना को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा एवं नियमानुसार PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर 5 वां राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही को संधारित कर नियमित रूप से रोकड़ बही का नियमानुसार अद्यतन किया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अनियमितता बारे निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र पृष्ठांकन संख्या पी०सी०एच०-एच ए (5) सी (15) 351/2017-नि-15409-437 दिनांक 05.03.19 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच एवं सत्यापना सहित तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए एक बैंक खाता खोलने व इस्तेमाल करने संबंधी अंकेक्षण आपत्ति पाई गई:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)/ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)	KCCB नगरोंटा सूरियाँ	20027080192

2.	5वां राज्य वित्त आयोग (5 th SFC)/ 13वां वित्त आयोग (13 th FC)	KCCB नगरोंटा सूरियाँ	50055750162
----	---	----------------------	-------------

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (OWN SOURCE), मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY), 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC) एवं 13वां वित्त आयोग (13th FC) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/धंगड़ दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 52 दिनांक 01.11.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (OWN SOURCE), मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY), 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC) एवं 13वां वित्त आयोग (13th FC) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.98 लाख के अत्यधिक अन्तर बारे:-

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार ₹1,97,682.55 की राशि का अन्तर बैंक में कम शेष के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत

द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/धंगड़ दिनांक 01.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 53 दिनांक 02.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बही से मिलान कर की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. अनुदान

5.1 अनुदान राशि ₹20.98 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 30/2024 दिनांक 30.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹20,97,703.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/धंगड़ दिनांक 01.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 54 दिनांक 02.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/धंगड़ दिनांक 01.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 54 दिनांक 02.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार अंकेक्षणावधि से सम्बन्धित उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. पंचायत राजस्व

6.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.29 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/धंगड़ दिनांक 02.11.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 55 दिनांक 02.11.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹29,410.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - " घ " पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र

वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. व्यय

7.1 खनन सामग्री बिलों के समर्थन में वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹7.90 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये की खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ड " पर** संलग्न विवरणानुसार राशि **₹7,90,191.40** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/धंगड़ दिनांक 05.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 59 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹7,90,191.40** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

7.2 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.14 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की

राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के दौरान कुल राशि **₹7,01,865.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹14,037.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/धंगड़ दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 60 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में राशि ₹2.86 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्त आयोग (14thFC) की रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि रोकड़ बही में कुल राशि **₹2,85,867.00** की भुगतान प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थीं, जोकि निम्नलिखित है, जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं:-

क्र०सं०	वॉउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ बही अनुसार विवरण	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1.	FFC/2022-23/P/1	15.10.2022	Refund	₹246403.00	बिल प्रस्तुत नहीं किया गया
2.	FFC/2022-23/P/2	15.10.2022	Refund	₹39464.00	
			कुल राशि	₹ 285867.00	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/धंगड़ दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 61 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त प्रविष्टि खाता का मिलान रोकड़ बही से करने हेतु की गई थी क्योंकि यह त्रुटि केवल online रोकड़ बही में हुई है जबकि बैंक में कोई राशि शेष उपलब्ध नहीं थी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 14वां वित्त आयोग (14thFC) रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त यह मामला पंचायती राज विभागीय उचाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक छानबीन अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹9.46 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹9,46,281.40** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट " छ " में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.5 स्थायी व अस्थायी भण्डार राशि ₹15.99 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹15,99,077.60 के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ज " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण न केवल अनियमित एवं आपत्तिजनक है एवं धन एवं सामग्री के दुरुपयोग या दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.6 अग्रिम राशि ₹6.47 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कार्पोरेशन) नगरोंटा सूरियाँ को

सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹6,46,796.20** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा बताया गया की अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कार्पोरेशन) नगरोटा सूरियाँ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.7 राशि ₹6.47 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित दार्शनिक बिल (Proforma Bill)/ मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कार्पोरेशन) नगरोटा सूरियाँ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹6,46,796.20** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कार्पोरेशन) नगरोटा सूरियाँ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट

की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कार्पोरेशन) फतेहपुर से दार्शनिक बिल (Proforma Bill)/ मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर दार्शनिक बिल (Proforma Bill)/ मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

7.8 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹14.60 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

बिल/वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹14,60,000.00 के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप

पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में परिशिष्ट " ज " पर संलग्न विवरणानुसार निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया कि विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये विभागीय स्तर पर मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं निष्पादित विकास कार्यों की भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 8 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे**
8.1 मनरेगा के अर्न्तगत स्वीकृत राशि ₹20.07 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के

संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

बिल/वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि **₹20,06,903.00** के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण राशि ₹4.13 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप

पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों एवं बिल वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹4,13,275.19** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा व नियमानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च तकनीकी अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए एवं तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में भी उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.52 लाख के मस्ट्रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, मस्ट्रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोलों का भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोलों को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोलों का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹51,516.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ड "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोलों को निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवा लिया जाएगा, भुगतान हेतु प्रस्ताव पारित किया जाएगा और संयुक्त अदायगी आदेश के उपरांत ही मस्ट्रोल का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों में पाई गई त्रुटि व किये गए अनियमित भुगतान की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा नियम प्रावधानों के प्रतिकूल किये गये समस्त भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में

उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विविध अनियमितताएं :-

9.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.01 लाख की हि०प्र० राजकीय कोष को राजस्व की हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00 (APL)/ ₹25.00 (BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00 (APL)/ ₹50.00 (BPL) अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष के निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹1,400.00** वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ढ " पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/धंगड़ दिनांक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 58 दिनांक 04.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि त्रुटिपूर्वक विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं हो पाई जिसकी वसूली शीघ्र आवेदनकर्ताओं से कर ली जाएगी तथा नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में विवाह पंजीकरण के समय ही नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाये एवं प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.03 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में नियमानुसार प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष के निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹3,000.00** जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ढ " पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/धंगड़ दिनांक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 58 दिनांक 04.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट " ज ", " ट ", " ठ " एवं " ड " पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.4 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा। पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर स्वतः प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

- 10.1** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	लेखा खाता/खाता बही	29 (1 से 3)	07
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	08
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
7.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
8.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24

9.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
10.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
11.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	कर रजिस्टर	34	16
5.	विकास कार्यों का लेखा-जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/धंगड़ दिनांक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 56 दिनांक 02.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम

रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित 06 रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/धंगड़ दिनांक 02.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 57 दिनांक 02.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता तथा समय-2 पर क्रय किए सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/धंगड़ दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 62 दिनांक 12.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों के रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

577-581

का०/प्रति

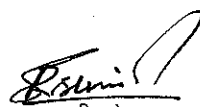
पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)449/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियाँ जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत धंगड, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JAN 2025

का०/प्रति



(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DHANGAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	419915.00	635159.00	1055074.00	519721.00	535353.00
2023-24	535353.00	6851.00	542204.00	529848.00	12356.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2199600.00	4117923.82	6317523.82	4047852.82	2269671.00
2023-24	2269671.00	3051155.04	5320826.04	3223123.04	2097703.00

[Handwritten signature]
TA

[Handwritten signature]
(विजय कुमार)

पंचायत समिति
ग्राम धंगड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

32
[Handwritten signature]

कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DHANGAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MPLAD	2022-23	12816.00	240384.00	253200.00	41736.00	211464.00
		2023-24	211464.00	5019.00	216483.00	103315.00	113168.00
2	VKVNY	2022-23	602887.00	326624.00	929511.00	698312.00	231199.00
		2023-24	231199.00	6444.00	237643.00	45200.00	192443.00
3	SDP	2022-23	188070.00	147245.00	335315.00	104844.00	230471.00
		2023-24	230471.00	446137.00	676608.00	445885.00	230723.00
4	SBM	2022-23	15872.00	121.00	15993.00	0.00	15993.00
		2023-24	15993.00	1211.00	17204.00	0.00	17204.00
5	IAY	2022-23	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RAYEAAAY	2022-23	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00
		2023-24	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00
7	NRHM	2022-23	664.00	0.00	664.00	664.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	IWDP/ IWMP	2022-23	7512.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5thSFC (Offline)	2022-23	194077.00	262767.00	456844.00	301000.00	155844.00
		2023-24	155844.00	463120.00	618964.00	320250.00	298714.00
10	13 TH FC	2022-23	70192.00	0.00	70192.00	0.00	70192.00
		2023-24	70192.00	0.00	70192.00	0.00	70192.00
11	14 TH FC	2022-23	285867.00	287.00	286154.00	285867.00	287.00
		2023-24	287.00	0.00	287.00	0.00	287.00
12	15 TH FC	2022-23	821609.00	752253.00	1573862.00	219663.00	1354199.00
		2023-24	1354199.00	269304.00	1623503.00	448553.00	1174950.00
13	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	234580.00	234580.00	234580.00	0.00
14	MGNREGA	2022-23	0.00	2388242.82	2388242.82	2388242.82	0.00
		2023-24	0.00	1625340.04	1625340.04	1625340.04	0.00

कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़, वि०ख० नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

ग्राम पंचायत धंगड़ के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)/ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080192	₹ 12,317.00	₹ 12,356.00
2	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750219	₹ 1,13,168.00	₹ 1,13,168.00
3	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750128	₹ 1,92,443.00	₹ 1,92,443.00
4	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750015	₹ 2,30,723.00	₹ 2,30,723.00
5	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750173	₹ 17,595.80	₹ 17,204.00
6	इंदिरा आवास योजना (I.A.Y.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750275	₹ 0.00	₹ 0.00
7	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750253	₹ 0.00	₹ 22.00
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055870398	₹ 0.00	₹ 0.00
9	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)/ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056083627	₹ 0.00	₹ 0.00
10	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750162	₹ 2,98,714.00	₹ 3,68,906.00
11	13वां वित्त आयोग (13 th FC)				
12	14वाँ वित्तायोग (14 TH FC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055750231	₹ 0.00	₹ 287.00
13	15वाँ वित्तायोग (15 TH FC)	UCO बैंक नगरोटा सूरियाँ	30720110038215	₹ 10,47,376.75	₹ 11,74,950.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 39.00	₹ 0.00
		कुल योग		₹ 19,12,376.55	₹ 21,10,059.00

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	₹ 21,10,059.00
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹ 19,12,376.55
अंतर :-	₹ 1,97,682.45

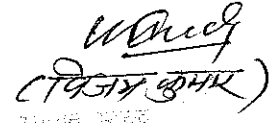
कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़ा, वि०ख० नगरौटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 329 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 335 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 24,660.00	329	₹ 50.00	₹ 16,450.00	₹ 41,110.00	₹ 28,450.00	₹ 12,660.00
2023-24	₹ 12,660.00	335	₹ 50.00	₹ 16,750.00	₹ 29,410.00	₹ 0.00	₹ 29,410.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 29,410.00 है।							




(विजय कुमार)

ग्राम पंचायत
नगरौटा सूरियाँ
कांगड़ा जिला
हिमाचल प्रदेश

35



ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के दौरान राशि ₹ 7.90 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23										
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	स्टॉक रजि० पं० सं०	फार्म X / फार्म Y
1	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2622/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
2				Crusher Agg	₹ 33.00	620.00	Cft	₹ 20,460.00		
				GST @ 5%				₹ 1,638.00		
3	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2621/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
4				Crusher Agg	₹ 33.00	350.00	Cft	₹ 11,550.00		
				GST @ 5%				₹ 1,192.50		
5	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2620/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
6				Crusher Agg	₹ 33.00	650.00	Cft	₹ 21,450.00		
				GST @ 5%				₹ 1,687.50		
7	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2624/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	283.00	Cft	₹ 9,339.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 466.95		
8	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2625/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	929.00	Cft	₹ 30,657.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 1,532.85		
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)										
9	Nagni Mata Stone Crusher	OWN/2022-23/P/5 Dt 15.10.2022	2773/ 19.07.2022	Crusher Agg	₹ 35.00	41.00	Cft	₹ 1,435.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 72.00		
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)										
10	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/21 Dt 15.10.2022	2664/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	280.00	Cft	₹ 11,480.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
11				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	482.00	Cft	₹ 14,460.00		
				GST @ 5%				₹ 1,297.00		
12	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/22 Dt 15.10.2022	2244/ 15.03.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	500.00	Cft	₹ 20,500.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
13				Crusher Agg	₹ 30.00	300.00	Cft	₹ 9,000.00		
				GST @ 5%				₹ 1,475.00		
14	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/23 Dt 15.10.2022	2667/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
15				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	590.00	Cft	₹ 17,700.00		
				GST @ 5%				₹ 1,397.50		
16	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/24 Dt 15.10.2022	2666/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
17				Crusher Agg	₹ 33.00	490.00	Cft	₹ 16,170.00		
18				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	585.00	Cft	₹ 17,550.00		
				GST @ 5%				₹ 2,198.50		
19	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/25 Dt 15.10.2022	1892/ 08.12.2021	Crusher Agg	₹ 33.00	400.00	Cft	₹ 13,200.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 660.00		
20				1893/ 10.12.2021	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00	Cft		
			GST @ 5%				₹ 820.00			
21	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/26 Dt 15.10.2022	2003/ 22.01.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00	Cft	₹ 16,400.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 820.00		
22				2665/ 21.05.2022	Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	834.00	Cft		
			GST @ 5%				₹ 1,251.00			
23	M/S Amit Guleria Cont.	VKVNY/2022-23/P/31 Dt 15.10.2022	063/ 11.07.2022	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	207.00	Cft	₹ 7,866.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
24				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	71.00	Cft	₹ 2,414.00		
				GST @ 5%				₹ 514.00		
25	M/S Amit Guleria Cont.	VKVNY/2022-23/P/32 Dt 15.10.2022	065/ 11.07.2022	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
26				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	490.00	Cft	₹ 16,660.00		
27				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	301.00	Cft	₹ 11,438.00		
28				Crusher Sand	₹ 46.00	20.00	Cft	₹ 920.00		
				GST @ 5%				₹ 2,020.90		

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	स्टॉक रजि० प० सं०	फार्म X / फार्म Y
वित्त वर्ष 2023-24										
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
29	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	221/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
30				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft	₹ 13,600.00		
31				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft	₹ 9,500.00		
32				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft	₹ 5,100.00		
33				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00		
				GST @ 5%				₹ 2,290.00		
34	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	222/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
35				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft	₹ 13,600.00		
36				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft	₹ 9,500.00		
37				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft	₹ 5,100.00		
38				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00		
				GST @ 5%				₹ 2,290.00		
39	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	349/ 09.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	450.00	Cft	₹ 15,300.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
40				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	310.00	Cft	₹ 11,780.00		
41				Crusher Sand	₹ 46.00	430.00	Cft	₹ 19,780.00		
				GST @ 5%				₹ 2,343.00		
42	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	350/ 10.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	950.00	Cft	₹ 32,300.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
43				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	430.00	Cft	₹ 14,620.00		
				GST @ 5%				₹ 2,346.00		
44	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	239/ 17.01.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	380.00	Cft	₹ 12,920.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
45				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	210.00	Cft	₹ 7,980.00		
46				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	440.00	Cft	₹ 14,960.00		
				GST @ 5%				₹ 1,793.00		
47	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	285/ 18.02.2023	Crusher Sand	₹ 46.00	295.00	Cft	₹ 13,570.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 678.50		
48	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 20.06.2023	220/ 02.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	50.00	Cft	₹ 1,900.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
49				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	285.00	Cft	₹ 9,690.00		
50				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	150.00	Cft	₹ 5,700.00		
51				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	170.00	Cft	₹ 5,780.00		
52				Crusher Sand	₹ 46.00	190.00	Cft	₹ 8,740.00		
				GST @ 5%				₹ 1,590.50		
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
53	M/S Amit Guleria Cont.	SDP/2023-24/P/1 Dt 08.06.2023	101/ 21.05.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
54				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	500.00	Cft	₹ 17,000.00		
55				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00		
56				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00		
				GST @ 5%				₹ 2,680.00		
57			102/ 21.05.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00	प्रविष्टि नहीं की गई है	उपलब्ध नहीं है
58				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	680.00	Cft	₹ 23,120.00		
59				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00		
60				Crusher Sand	₹ 46.00	243.00	Cft	₹ 11,178.00		
				GST @ 5%				₹ 2,573.70		
कुल योग								₹ 7,90,191.40		


 (विक्रम कुमार)
 प्रवाकत सचिव
 ग्राम पंचायत भण्ड
 विकास कार्य समिति (मनरेगा)

ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के दौरान राशि ₹ 0.14 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	10/2022	Nagni Mata Stone Crusher, Village Jarpal, P.O. Amlela & Teh Jawali, Kangra, GST No. 02BHPS9410D1ZH	Crusher Sand, Crusher Agg & Crusher 63/90 mm	₹ 3,30,171.00	2%	₹ 6,603.42
2	2023-24	06/2023	M/S Amit Guleria Cont., GST No. 02APUPG7861CZU	Crusher Agg 10mm, Crusher Agg 20mm, Crusher Agg 40mm, Crusher Agg 63mm & Crusher Sand	₹ 3,71,694.00	2%	₹ 7,433.88
Total (R/Off)					₹ 7,01,865.00	2%	₹ 14,037.00

Note: Amount considered for calculation of GST TDS is excluding GST Paid as bills.

(विजय कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
विजय कुमार सचिव (धंगड़ा)

ग्राम पंचायत धंगड द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 10/2022 व 06/2023 में राशि ₹9.46 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23									
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	टिप्पणी
1	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2622/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
2				Crusher Agg	₹ 33.00	620.00	Cft	₹ 20,460.00	
				GST @ 5%				₹ 1,638.00	
3	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2621/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	
4				Crusher Agg	₹ 33.00	350.00	Cft	₹ 11,550.00	
				GST @ 5%				₹ 1,192.50	
5	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2620/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00	
6				Crusher Agg	₹ 33.00	650.00	Cft	₹ 21,450.00	
				GST @ 5%				₹ 1,687.50	
7	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2624/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	283.00	Cft	₹ 9,339.00	
				GST @ 5%				₹ 466.95	
8	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2625/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	929.00	Cft	₹ 30,657.00	
				GST @ 5%				₹ 1,532.85	
9	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	021/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	45.00	No.	₹ 6,750.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
10				Mango Grafted	₹ 200.00	10.00	No.	₹ 2,000.00	
11				Amrood Hybrid	₹ 155.00	15.00	No.	₹ 2,325.00	
12				Lasiara Grafted	₹ 240.00	5.00	No.	₹ 1,200.00	
13				Litchi Grafted	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00	
14				Kathal Grafted	₹ 235.00	10.00	No.	₹ 2,350.00	
15				Santra	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00	
16				Kinnu	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00	
17				Ambala Grafted	₹ 155.00	20.00	No.	₹ 3,100.00	
18				Khair	₹ 55.00	200.00	No.	₹ 11,000.00	
19				Tun	₹ 55.00	50.00	No.	₹ 2,750.00	
20	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	022/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	100.00	No.	₹ 15,000.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
21				Mango Grafted	₹ 200.00	12.00	No.	₹ 2,400.00	
22				Amrood Hybrid	₹ 155.00	10.00	No.	₹ 1,550.00	
23				Lasiara Grafted	₹ 240.00	5.00	No.	₹ 1,200.00	
24				Litchi Grafted	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00	
25				Kathal Grafted	₹ 235.00	10.00	No.	₹ 2,350.00	
26				Santra	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00	
27				Kinnu	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00	
28				Mousami	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00	
29				Khair	₹ 55.00	100.00	No.	₹ 5,500.00	
30				Tun	₹ 55.00	50.00	No.	₹ 2,750.00	
31	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	022/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	225.00	No.	₹ 33,750.00	
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)									
32	Nagni Mata	OWN/2022-23/P/5 Dt	2773/	Crusher Agg	₹ 35.00	41.00	Cft	₹ 1,435.00	
33	Stone Crusher	15.10.2022	19.07.2022	GST @ 5%				₹ 72.00	
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)									
34	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/21 Dt 15.10.2022	2664/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	280.00	Cft	₹ 11,480.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
35				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	482.00	Cft	₹ 14,460.00	
				GST @ 5%				₹ 1,297.00	
36	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/22 Dt 15.10.2022	2244/ 15.03.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	500.00	Cft	₹ 20,500.00	
37				Crusher Agg	₹ 30.00	300.00	Cft	₹ 9,000.00	
				GST @ 5%				₹ 1,475.00	
38	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/23 Dt 15.10.2022	2667/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00	
39				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	590.00	Cft	₹ 17,700.00	
				GST @ 5%				₹ 1,397.50	
40	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/24 Dt 15.10.2022	2666/ 21.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00	
41				Crusher Agg	₹ 33.00	490.00	Cft	₹ 16,170.00	
42				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	585.00	Cft	₹ 17,550.00	
				GST @ 5%				₹ 2,198.50	

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	टिप्पणी	
43	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/25 Dt 15.10.2022	1892/ 08.12.2021	Crusher Agg	₹ 33.00	400.00	Cft	₹ 13,200.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया	
44				GST @ 5%				₹ 660.00		
					1893/ 10.12.2021	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00		Cft
				GST @ 5%				₹ 820.00		
45	Nagni Mata Stone Crusher	VKVNY/2022-23/P/26 Dt 15.10.2022	2003/ 22.01.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00	Cft	₹ 16,400.00		
				GST @ 5%				₹ 820.00		
46					2665/ 21.05.2022	Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	834.00		Cft
				GST @ 5%				₹ 1,251.00		
47	M/S Amit Guleria Cont.	VKVNY/2022-23/P/31 Dt 15.10.2022	063/ 11.07.2022	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	207.00	Cft	₹ 7,866.00		
48					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	71.00	Cft		₹ 2,414.00
					GST @ 5%					₹ 514.00
49	M/S Amit Guleria Cont.	VKVNY/2022-23/P/32 Dt 15.10.2022	065/ 11.07.2022	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00		
50					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	490.00	Cft	₹ 16,660.00	
51					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	301.00	Cft	₹ 11,438.00	
52					Crusher Sand	₹ 46.00	20.00	Cft	₹ 920.00	
					GST @ 5%				₹ 2,020.90	
वित्त वर्ष 2023-24										
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
53	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	221/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया	
54					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft		₹ 13,600.00
55					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft		₹ 9,500.00
56					Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft		₹ 5,100.00
57					Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft		₹ 13,800.00
					GST @ 5%					₹ 2,290.00
58	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	222/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00		
59					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft		₹ 13,600.00
60					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft		₹ 9,500.00
61					Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft		₹ 5,100.00
62					Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft		₹ 13,800.00
					GST @ 5%					₹ 2,290.00
63	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	349/ 09.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	450.00	Cft	₹ 15,300.00		
64					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	310.00	Cft	₹ 11,780.00	
65					Crusher Sand	₹ 46.00	430.00	Cft	₹ 19,780.00	
					GST @ 5%				₹ 2,343.00	
66	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	350/ 10.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	950.00	Cft	₹ 32,300.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया	
67					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	430.00	Cft		₹ 14,620.00
					GST @ 5%					₹ 2,346.00
68	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	239/ 17.01.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	380.00	Cft	₹ 12,920.00		
69					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	210.00	Cft		₹ 7,980.00
70					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	440.00	Cft		₹ 14,960.00
					GST @ 5%					₹ 1,793.00
71	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	285/ 18.02.2023	Crusher Sand	₹ 46.00	295.00	Cft	₹ 13,570.00		
				GST @ 5%				₹ 678.50		
72	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 20.06.2023	220/ 02.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	50.00	Cft	₹ 1,900.00		
73					Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	285.00	Cft		₹ 9,690.00
74					Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	150.00	Cft		₹ 5,700.00
75					Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	170.00	Cft	₹ 5,780.00	
76					Crusher Sand	₹ 46.00	190.00	Cft	₹ 8,740.00	
				GST @ 5%				₹ 1,590.50		
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)										
77	Bhatia Electrical & Electronic	OWN/2023-24/P/6 Dt 08.06.2023	128/ 30.04.2023	Wire 1.5 m ² 200 mtr	₹ 4,500.00	1.00	Roll	₹ 4,500.00	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं	
78					Wire 1.5 m ² 90 mtr	₹ 1,500.00	1.00	Roll		₹ 1,500.00
79					Sheet Cover 6 Module	₹ 210.00	4.00	No.		₹ 840.00
80					Sheet Cover 8 Module	₹ 240.00	1.00	No.		₹ 240.00
81					Sheet Cover 12 Module	₹ 270.00	3.00	No.		₹ 810.00
82					Switch 5 Amp Anchor	₹ 35.00	36.00	No.		₹ 1,260.00
83					Socket 5 Amp Anchor	₹ 125.00	10.00	No.		₹ 1,250.00
84					Concealed Light 15 Watt	₹ 650.00	10.00	No.		₹ 6,500.00
85					Concealed Light 8 Watt	₹ 250.00	10.00	No.		₹ 2,500.00
86					Fan Regulator	₹ 250.00	5.00	No.		₹ 1,250.00

50

40

10/8

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	टिप्पणी
87				Dimmy Switch	₹ 10.00	15.00	No.	₹ 150.00	तीन निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
88				Pipe 1"	₹ 55.00	10.00	No.	₹ 550.00	
89				J Box	₹ 12.00	15.00	No.	₹ 180.00	
90				Band	₹ 12.00	10.00	No.	₹ 120.00	
91				8 Module Box	₹ 75.00	1.00	No.	₹ 75.00	
92				12 Module Box	₹ 85.00	3.00	No.	₹ 255.00	
93				6 Module Box	₹ 65.00	4.00	No.	₹ 260.00	
94	Mayank Hardware Store	OWN/2023-24/P/8 Dt 21.06.2023	211/ 17.06.2023	2x2 Floor Tile	₹ 650.00	50.00	SQFT	₹ 32,500.00	
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)									
95	M/S Amit Guleria Cont.	SDP/2023-24/P/1 Dt 08.06.2023	101/ 21.05.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
96				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	500.00	Cft	₹ 17,000.00	
97				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00	
98				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00	
				GST @ 5%				₹ 2,680.00	
99			102/ 21.05.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00	
100				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	680.00	Cft	₹ 23,120.00	
101				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00	
102				Crusher Sand	₹ 46.00	243.00	Cft	₹ 11,178.00	
				GST @ 5%				₹ 2,573.70	
							कुल योग	₹ 9,46,281.40	

(Signature)

(Signature)
 (विजय कुमार)

पञ्चायत सचिव
 ग्राम पञ्चायत, बगई
 विजय बगई, राष्ट्रीय राजमार्ग (बगई)



ग्राम पंचायत धंगड द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 10/2022 व 06/2023 में क्रय की गई राशि ₹15.99 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

वित्त वर्ष 2022-23								
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)								
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा. सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित
1	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2622/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00
2				Crusher Agg	₹ 33.00	620.00	Cft	₹ 20,460.00
				GST @ 5%				₹ 1,638.00
3	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2621/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00
4				Crusher Agg	₹ 33.00	350.00	Cft	₹ 11,550.00
				GST @ 5%				₹ 1,192.50
5	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2620/ 10.05.2022	Crusher Sand	₹ 41.00	300.00	Cft	₹ 12,300.00
6				Crusher Agg	₹ 33.00	650.00	Cft	₹ 21,450.00
				GST @ 5%				₹ 1,687.50
7	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2624/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	283.00	Cft	₹ 9,339.00
				GST @ 5%				₹ 466.95
8	Nagni Mata Stone Crusher	Nil/ 19.10.2022	2625/ 10.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	929.00	Cft	₹ 30,657.00
				GST @ 5%				₹ 1,532.85
9	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	021/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	45.00	No.	₹ 6,750.00
10				Mango Grafted	₹ 200.00	10.00	No.	₹ 2,000.00
11				Amrood Hybrid	₹ 155.00	15.00	No.	₹ 2,325.00
12				Lasiara Grafted	₹ 240.00	5.00	No.	₹ 1,200.00
13				Litchi Grafted	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00
14				Kathal Grafted	₹ 235.00	10.00	No.	₹ 2,350.00
15				Santra	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00
16				Kinnu	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00
17				Ambala Grafted	₹ 155.00	20.00	No.	₹ 3,100.00
18				Khair	₹ 55.00	200.00	No.	₹ 11,000.00
19				Tun	₹ 55.00	50.00	No.	₹ 2,750.00
20	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	022/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	100.00	No.	₹ 15,000.00
21				Mango Grafted	₹ 200.00	12.00	No.	₹ 2,400.00
22				Amrood Hybrid	₹ 155.00	10.00	No.	₹ 1,550.00
23				Lasiara Grafted	₹ 240.00	5.00	No.	₹ 1,200.00
24				Litchi Grafted	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00
25				Kathal Grafted	₹ 235.00	10.00	No.	₹ 2,350.00
26				Santra	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00
27				Kinnu	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00
28				Mousami	₹ 155.00	5.00	No.	₹ 775.00
29				Khair	₹ 55.00	100.00	No.	₹ 5,500.00
30				Tun	₹ 55.00	50.00	No.	₹ 2,750.00
31	Kailashpati Shivdev Pvt Ltd	Nil/ 19.10.2022	022/ 18.07.2022	Lemon Grafted	₹ 150.00	225.00	No.	₹ 33,750.00
32	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023561/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	45.00	Bags	₹ 15,361.20
33	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023562/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	60.00	Bags	₹ 20,481.60
34	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023559/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	20.00	Bags	₹ 6,827.20
35	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023560/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	25.00	Bags	₹ 8,534.00
36	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023563/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	65.00	Bags	₹ 22,188.40
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)								
37	Vinod Painting Contractor	OWN/2022-23/P/4 Dt 15.10.2022	090/ 11.03.2022	बोर्ड	₹ 1,400.00	1.00	No.	₹ 1,400.00
38				बोर्ड पेंटिंग	₹ 600.00	1.00	No.	₹ 600.00



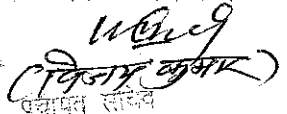
92

10/1

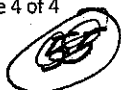
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा. सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित
39	Nagni Mata Stone	OWN/2022-23/P/5 Dt	2773/	Crusher Agg	₹ 35.00	41.00	Cft	₹ 1,435.00
40	Crusher	15.10.2022	19.07.2022	GST @ 5%				₹ 72.00
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)								
41	Vinod Painting	VKVNY/2022-23/P/19	125/	बोर्ड	₹ 1,400.00	1.00	No.	₹ 1,400.00
42	Contractor	Dt 15.10.2022	04.06.2022	बोर्ड पेंटिंग	₹ 600.00	1.00	No.	₹ 600.00
43	Vinod Painting	VKVNY/2022-23/P/20	124/	बोर्ड	₹ 1,400.00	1.00	No.	₹ 1,400.00
44	Contractor	Dt 15.10.2022	04.06.2022	बोर्ड पेंटिंग	₹ 600.00	1.00	No.	₹ 600.00
45	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/21	2664/	Crusher Sand	₹ 41.00	280.00	Cft	₹ 11,480.00
46	Crusher	Dt 15.10.2022	21.05.2022	Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	482.00	Cft	₹ 14,460.00
				GST @ 5%				₹ 1,297.00
47	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/22	2244/	Crusher Sand	₹ 41.00	500.00	Cft	₹ 20,500.00
48	Crusher	Dt 15.10.2022	15.03.2022	Crusher Agg	₹ 30.00	300.00	Cft	₹ 9,000.00
				GST @ 5%				₹ 1,475.00
49	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/23	2667/	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00
50	Crusher	Dt 15.10.2022	21.05.2022	Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	590.00	Cft	₹ 17,700.00
				GST @ 5%				₹ 1,397.50
51	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/24	2666/	Crusher Sand	₹ 41.00	250.00	Cft	₹ 10,250.00
52	Crusher	Dt 15.10.2022	21.05.2022	Crusher Agg	₹ 33.00	490.00	Cft	₹ 16,170.00
53				Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	585.00	Cft	₹ 17,550.00
				GST @ 5%				₹ 2,198.50
54	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/25	1892/	Crusher Agg	₹ 33.00	400.00	Cft	₹ 13,200.00
	Crusher	Dt 15.10.2022	08.12.2021	GST @ 5%				₹ 660.00
55			1893/	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00	Cft	₹ 16,400.00
			10.12.2021	GST @ 5%				₹ 820.00
56	Nagni Mata Stone	VKVNY/2022-23/P/26	2003/	Crusher Sand	₹ 41.00	400.00	Cft	₹ 16,400.00
	Crusher	Dt 15.10.2022	22.01.2022	GST @ 5%				₹ 820.00
57			2665/	Crusher 63/90 mm	₹ 30.00	834.00	Cft	₹ 25,020.00
			21.05.2022	GST @ 5%				₹ 1,251.00
58	M/S Amit Guleria	VKVNY/2022-23/P/31	063/	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	207.00	Cft	₹ 7,866.00
59	Cont.	Dt 15.10.2022	11.07.2022	Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	71.00	Cft	₹ 2,414.00
				GST @ 5%				₹ 514.00
60	M/S Amit Guleria	VKVNY/2022-23/P/32	065/	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00
61	Cont.	Dt 15.10.2022	11.07.2022	Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	490.00	Cft	₹ 16,660.00
62				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	301.00	Cft	₹ 11,438.00
63				Crusher Sand	₹ 46.00	20.00	Cft	₹ 920.00
				GST @ 5%				₹ 2,020.90
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)								
64	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	SDP/2022-23/P/1 Dt	246828/	सीमेंट	₹ 397.00	120.00	Bags	₹ 47,640.00
65	Nagrota Suriyan	15.10.2022	29.12.2021					
	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	SDP/2022-23/P/2 Dt						
	Nagrota Suriyan	15.10.2022						
वित्त वर्ष 2023-24								
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)								
66	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 27.06.2023	207259/	सीमेंट	₹ 397.00	75.00	Bags	₹ 29,775.00
	Nagrota Suriyan		10.03.2023					
67	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 28.06.2023	147578/	सीमेंट	₹ 417.36	290.00	Bags	₹ 1,21,034.40
	Nagrota Suriyan		18.01.2023					
68	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 27.06.2023	207262/	सीमेंट	₹ 397.00	150.00	Bags	₹ 59,550.00
	Nagrota Suriyan		10.02.2023					
69	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 27.06.2023	207260/	सीमेंट	₹ 397.00	100.00	Bags	₹ 39,700.00
	Nagrota Suriyan		10.02.2023					
70	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 21.06.2023	147577/	सीमेंट	₹ 417.36	165.00	Bags	₹ 68,864.40
	Nagrota Suriyan		18.01.2023					
71	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 27.06.2023	207261/	सीमेंट	₹ 397.00	100.00	Bags	₹ 39,700.00
	Nagrota Suriyan		10.03.2023					
72	H.P.S.C.S. Co. Ltd.	Nil/ 27.06.2023	147580/	सीमेंट	₹ 397.00	75.00	Bags	₹ 29,775.00
	Nagrota Suriyan		10.03.2023					

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित
73	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	221/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00
74				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft	₹ 13,600.00
75				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft	₹ 9,500.00
76				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft	₹ 5,100.00
77				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00
				GST @ 5%				₹ 2,290.00
78	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	222/ 03.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	100.00	Cft	₹ 3,800.00
79				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	400.00	Cft	₹ 13,600.00
80				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	250.00	Cft	₹ 9,500.00
81				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	150.00	Cft	₹ 5,100.00
82				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00
				GST @ 5%				₹ 2,290.00
83	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	349/ 09.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	450.00	Cft	₹ 15,300.00
84				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	310.00	Cft	₹ 11,780.00
85				Crusher Sand	₹ 46.00	430.00	Cft	₹ 19,780.00
				GST @ 5%				₹ 2,343.00
86	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	350/ 10.03.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	950.00	Cft	₹ 32,300.00
87				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	430.00	Cft	₹ 14,620.00
				GST @ 5%				₹ 2,346.00
88	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 27.06.2023	239/ 17.01.2023	Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	380.00	Cft	₹ 12,920.00
89				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	210.00	Cft	₹ 7,980.00
90				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	440.00	Cft	₹ 14,960.00
				GST @ 5%				₹ 1,793.00
91	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 28.06.2023	285/ 18.02.2023	Crusher Sand	₹ 46.00	295.00	Cft	₹ 13,570.00
				GST @ 5%				₹ 678.50
92	M/S Amit Guleria Cont.	Nil/ 20.06.2023	220/ 02.01.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	50.00	Cft	₹ 1,900.00
93				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	285.00	Cft	₹ 9,690.00
94				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	150.00	Cft	₹ 5,700.00
95				Crusher Agg 40mm	₹ 34.00	170.00	Cft	₹ 5,780.00
96				Crusher Sand	₹ 46.00	190.00	Cft	₹ 8,740.00
				GST @ 5%				₹ 1,590.50
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)								
97	Bhatia Electrical & Electronic	OWN/2023-24/P/6 Dt 08.06.2023	128/ 30.04.2023	Wire 1.5 m ² 200 mtr	₹ 4,500.00	1.00	Roll	₹ 4,500.00
98				Wire 1.5 m ² 90 mtr	₹ 1,500.00	1.00	Roll	₹ 1,500.00
99				Sheet Cover 6 Module	₹ 210.00	4.00	No.	₹ 840.00
100				Sheet Cover 8 Module	₹ 240.00	1.00	No.	₹ 240.00
101				Sheet Cover 12 Module	₹ 270.00	3.00	No.	₹ 810.00
102				Switch 5 Amp Anchor	₹ 35.00	36.00	No.	₹ 1,260.00
103				Socket 5 Amp Anchor	₹ 125.00	10.00	No.	₹ 1,250.00
104				Conceiled Light 15 Watt	₹ 650.00	10.00	No.	₹ 6,500.00
105				Conceiled Light 8 Watt	₹ 250.00	10.00	No.	₹ 2,500.00
106				Fan Regulator	₹ 250.00	5.00	No.	₹ 1,250.00
107				Dimmy Switch	₹ 10.00	15.00	No.	₹ 150.00
108				Pipe 1"	₹ 55.00	10.00	No.	₹ 550.00
109				J Box	₹ 12.00	15.00	No.	₹ 180.00
110				Band	₹ 12.00	10.00	No.	₹ 120.00
111				8 Module Box	₹ 75.00	1.00	No.	₹ 75.00
112				12 Module Box	₹ 85.00	3.00	No.	₹ 255.00
113				6 Module Box	₹ 65.00	4.00	No.	₹ 260.00
113	Mayank Hardware Store	OWN/2023-24/P/8 Dt 21.06.2023	211/ 17.06.2023	2x2 Floor Tile	₹ 650.00	50.00	SQFT	₹ 32,500.00
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)								
114	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	VKVNY/2023-24/P/1 Dt 27.06.2023	299245/ 26.06.2023	सीमेंट	₹ 397.00	30.00	Bags	₹ 11,910.00
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)								
115				Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित
116	M/S Amit Guleria Cont.	SDP/2023-24/P/1 Dt 08.06.2023	101/ 21.05.2023	Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	500.00	Cft	₹ 17,000.00
117				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	300.00	Cft	₹ 11,400.00
118				Crusher Sand	₹ 46.00	300.00	Cft	₹ 13,800.00
				GST @ 5%				₹ 2,680.00
119			102/ 21.05.2023	Crusher Agg 10mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00
120				Crusher Agg 63mm	₹ 34.00	680.00	Cft	₹ 23,120.00
121				Crusher Agg 20mm	₹ 38.00	226.00	Cft	₹ 8,588.00
122				Crusher Sand	₹ 46.00	243.00	Cft	₹ 11,178.00
				GST @ 5%				₹ 2,573.70
123	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	SDP/2023-24/P/3 Dt 27.06.2023	215852/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	45.00	Bags	₹ 17,865.00
124	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		215855/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	50.00	Bags	₹ 19,850.00
125	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		215856/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	40.00	Bags	₹ 15,880.00
126	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		138211/ 17.02.2024	सीमेंट	₹ 402.00	80.00	Bags	₹ 32,160.00
	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग (15 th FC)							
127	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/19 Dt 20.06.2023	207350/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	35.00	Bags	₹ 13,895.00
128	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/20 Dt 20.06.2023	207351/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	20.00	Bags	₹ 7,940.00
129	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/21 Dt 20.06.2023	207352/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	20.00	Bags	₹ 7,940.00
130	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/22 Dt 20.06.2023	207353/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	25.00	Bags	₹ 9,925.00
							कुल योग	₹ 15,99,077.60


 (पंकज कुमार)
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत थानड़
 तहसील फण्ड नगीरा सुरिया (जिला)

45



ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा सीमेंट क्रय से संबंधित प्रोफार्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना, प्राप्त सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टि न करना एवं भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹6.47 लाख समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Delivery/Transfer Challan No./ Date	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग (15 th FC)							
1	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/19 Dt 20.06.2023	207350/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	35.00	₹ 13,895.00
2	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/20 Dt 20.06.2023	207351/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	20.00	₹ 7,940.00
3	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/21 Dt 20.06.2023	207352/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	20.00	₹ 7,940.00
4	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	XVFC/2023-24/P/22 Dt 20.06.2023	207353/ 17.6.2023	सीमेंट	₹ 397.00	25.00	₹ 9,925.00
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)							
5	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	SDP/2023-24/P/3 Dt 27.06.2023	215852/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	45.00	₹ 17,865.00
6	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		215855/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	50.00	₹ 19,850.00
7	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		215856/ 11.11.2023	सीमेंट	₹ 397.00	40.00	₹ 15,880.00
8	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan		138211/ 17.02.2024	सीमेंट	₹ 402.00	80.00	₹ 32,160.00
9	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	SDP/2022-23/P/1 Dt 15.10.2022	246828/ 29.12.2021	सीमेंट	₹ 397.00	120.00	₹ 47,640.00
10	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	SDP/2022-23/P/2 Dt 15.10.2022					
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)							
11	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	VKVNY/2023-24/P/1 Dt 27.06.2023	299245/ 26.06.2023	सीमेंट	₹ 397.00	30.00	₹ 11,910.00
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)							
12	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023561/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	45.00	₹ 15,361.20
13	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023562/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	60.00	₹ 20,481.60
14	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023559/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	20.00	₹ 6,827.20
15	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023560/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	25.00	₹ 8,534.00
16	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 19.10.2022	0023563/ 05.05.2022	सीमेंट	₹ 341.36	65.00	₹ 22,188.40
17	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 27.06.2023	207259/ 10.03.2023	सीमेंट	₹ 397.00	75.00	₹ 29,775.00
18	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 28.06.2023	147578/ 18.01.2023	सीमेंट	₹ 417.36	290.00	₹ 1,21,034.40
19	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 27.06.2023	207262/ 10.02.2023	सीमेंट	₹ 397.00	150.00	₹ 59,550.00
20	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 27.06.2023	207260/ 10.02.2023	सीमेंट	₹ 397.00	100.00	₹ 39,700.00
21	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 21.06.2023	147577/ 18.01.2023	सीमेंट	₹ 417.36	165.00	₹ 68,864.40
22	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 27.06.2023	207261/ 10.03.2023	सीमेंट	₹ 397.00	100.00	₹ 39,700.00
23	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nagrota Suriyan	Nil/ 27.06.2023	147580/ 10.03.2023	सीमेंट	₹ 397.00	75.00	₹ 29,775.00
						कुल जोड़	₹ 6,46,796.20

अरविन्द कुमार
ग्राहक सेल से
ग्राहक पंचायत धंगड़

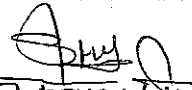
Technical Assistant
Gram Panchayat Dhanger.
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

विजय कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
विकास खण्ड नारोव लुग्ग (अग्रिम)

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems which
are facing it.

ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹14.60 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र.सं०	अनुदान शीर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	चयनित माह में भुगतान की गई राशि
1	VKVNY	मुरमत रास्ता लिक रोड दिलबाग सिंह के घर से पवन कुमार के घर तक	2021-22	₹ 80,000.00	₹ 23,820.00
2	VKVNY	मुरमत रास्ता लिक रोड कपूर सिंह के घर से सरदारी लाल के घर तक	2021-22	₹ 80,000.00	₹ 23,820.00
3	MMAGY	सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत धंगड़	2021-22	₹ 10,00,000.00	₹ 60,590.00
4	SDP	मुरमत रास्ता एम्बुलेंस रोड राशन डिपो से गोठा बस्ती	2021-22	₹ 3,00,000.00	₹ 1,85,232.00
		कुल जोड़		₹ 14,60,000.00	₹ 2,93,462.00


इकवाल सिंह
Technical Assistant
Gram Panchayat, Dhanger.
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra


(विजय कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
खिलास धंगड़ समूह सुरि (ग्राम)

(परिशिष्ट " ट "

" पैरा संख्या "

8.1
9.1

" में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत धंगड़ा द्वारा मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹20.07 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल व्यय राशि
1	निर्माण बरसाती नाला दुनी चन्द आदि के घर के पास वार्ड न० 04 (1304010456/FP/8000099176)	2021-22	₹ 99,265.00	₹ 73,842.10
2	निर्माण नाली गुरदेव सिंह के घर के पास वार्ड न० 02 (1304010456/IF/32256702)	2021-22	₹ 49,738.00	₹ 36,672.20
3	निर्माण एम्बुलेंस रोड (जीपेबल रोड) विकास के घर से रेलवे स्टेशन लुन्सू तक वार्ड न० 05 (1304010456/RC/8000125147)	2021-22	₹ 2,95,844.00	₹ 2,71,200.58
4	निर्माण रास्ता सुरेश की दूकान से बबडी तक वार्ड न० 03 (1304010456/RC/8000143054)	2021-22	₹ 99,677.00	₹ 80,571.28
5	निर्माण भूमि समतलीकरण हमीर चन्द पुत्र जैसी राम इत्यादि की जमीनों में (1304010456/LD/8000050699)	2021-22	₹ 99,452.00	₹ 85,376.00
6	निर्माण भूमि समतलीकरण मेहर सिंह पुत्र कर्म सिंह इत्यादि की जमीनों में (1304010456/LD/8000070998)	2021-22	₹ 2,84,333.00	₹ 2,55,460.00
7	निर्माण रास्ता नसीब के घर से जमन तक (1304010456/RC/8000168721)	2022-23	₹ 2,94,977.00	₹ 2,20,736.00
8	निर्माण जीपेबल रोड राशन डिपो से लेकर ढयूँ वस्ति तक वार्ड न० 02 (Pradhan Priority) (1304010456/RC/8000124452)	2021-22	₹ 4,86,697.00	₹ 4,50,264.48
9	निर्माण लिंक रोड (एम्बुलेंस रोड) चतरा गाँव से नसीब सिंह के घर तक वार्ड न० 05 (1304010456/RC/8000125150)	2021-22	₹ 2,96,920.00	₹ 2,47,596.90
		कुल जोड़	₹ 20,06,903.00	₹ 17,21,719.54

अरविन्द कुमार
गाँव सचिव
ग्राम पंचायत-धंगड़ा

Technical Assistant
Gram Panchayat, Dhanger.
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

विजय कुमार
पंचायत साधन
ग्राम पंचायत धंगड़ा
ब्लॉक न/सूरान (कंगड़ा)

परिशिष्ट " ठ " , पैरा संख्या " १.२ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच नियमानुसार न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹4.13 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	कुल प्राप्त राशी	कुल व्यय राशी	मूल्यांकन राशि	एम० बी० सं०/पृ० सं०
1	निर्माण सुरक्षा दीवार चुनी लाल के घर के पास वार्ड न० 01 (1304010456/FP/8000090317)	2021-22	₹ 99,870.00	₹ 78,727.24	₹ 78,727.24	₹ 82,022.00	25644/ 25
2	C/o Suraksha Diwar Bidhi Singh , kulbant Singh ke Ghar ke Pass (1304010456/IF/32219088)	2021-22	₹ 69,505.00	₹ 63,495.95	₹ 63,495.95	₹ 68,981.00	25644/ 28
3	पौधा रोपण दया राम की जमीन में वार्ड न० 1 (1304010456/IF/32292885)	2022-23	₹ 99,769.00	₹ 89,718.00	₹ 89,718.00	₹ 91,743.00	25644/ 49-51
4	पौधा रोपण रघुबीर सिंह ब भगवान सिंह की जमीन में वार्ड न० (1304010456/IF/32292887)	2022-23	₹ 99,769.00	₹ 90,778.00	₹ 90,778.00	₹ 92,778.00	25644/ 52-54
5	पौधा रोपण महिंदर सिंह की जमीन में वार्ड न० 3 (1304010456/IF/32292895)	2022-23	₹ 99,769.00	₹ 90,556.00	₹ 90,556.00	₹ 91,641.00	25644/ 55-56
कुल योग			₹ 4,68,682.00	₹ 4,13,275.19	₹ 4,13,275.19	₹ 4,27,165.00	

अरवि कुमार
ग्राम पंच. सच.
धंगड़ पंच. धंगड़

Technical Assistant
Gram Panchayat. Dhanger.
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

(विजय कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
विभाग धंगड़ जिला कांगड़ा

8.3
(परिशिष्ट " 3 ", पैरा संख्या " 9.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत धंगड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.52 लाख के मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना, भुगतान हेतु प्रस्ताव पारित न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	पौधा रोपण रघुबीर सिंह व भगवान सिंह की जमीन में वार्ड न० (1304010456/IF/32292887)	3267	NII/07.10.2022	₹ 7,632.00
2	पौधा रोपण महिंदर सिंह की जमीन में वार्ड न० 3 (1304010456/IF/32292895)	3161	NII/07.10.2022	₹ 6,784.00
3	निर्माण भूमि समतलीकरण हमीर चन्द पुत्र जैसी राम इत्यादि की जमीनों में (1304010456/LD/8000050699)	3162	NII/01.10.2022	₹ 8,268.00
4	निर्माण भूमि समतलीकरण मेहर सिंह पुत्र कर्म सिंह इत्यादि की जमीनों में (1304010456/LD/8000070998)	3163	NII/01.10.2022	₹ 16,748.00
5		3164	NII/01.10.2022	₹ 12,084.00
6		3268	NII/07.10.2022	₹ 21,836.00
7		3269	NII/07.10.2022	₹ 21,200.00
8	निर्माण रास्ता नसीब के घर से जमन तक (1304010456/RC/8000168721)	561	NII/05.06.2023	₹ 18,405.00
9		747	NII/21.06.2023	₹ 20,380.00
			कुल जोड़	₹ 51,516.00

अरविन्द कुमार
ग/० स/० स/०
ग/० प/०-धंगड़

Technical Assistant
Gram Panchayat, Dhngar
Block N/Surian
Teh. Haripur Distt. Kangra

(विजय कुमार)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धंगड़
ब्लॉक न/सूरान, तहसील हरीपुर, जिला कांगड़ा

कार्यालय ग्राम पंचायत धंगड़, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176033

(क) आवेदनकर्ताओं से राशि ₹0.01 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली एवं राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु शेष का विवरण :-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	अभिनन्दन सुपुत्र सुभाष चंद	03.07.2022	25.07.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	अभिषेक सुपुत्र मनोहर लाल	02.08.2022	22.08.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	अंशु कुमार सुपुत्र वकील चंद	19.09.2022	06.10.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	विनोद कुमार सुपुत्र राज कुमार	26.05.2022	21.10.2022	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
5	मुनिष सिंह गुलेरिया	31.01.2023	10.03.2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
6	शुभम चौधरी सुपुत्र अमर सिंह	11.05.2023	28.06.2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
7	संजीव कुमार सुपुत्र रज चंद	07.02.2023	05.02.2024	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 2,200.00	₹ 800.00	₹ 1,400.00

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.03 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाने का विवरण:-

1	वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 2,000.00
2	वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 1,000.00
	कुल योग	₹ 3,000.00

(विजय कुमार)

ग्राम पंचायत धंगड़
नगरोटा सूरियाँ
कांगड़ा जिला
हिमाचल प्रदेश